...खण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट...

डिक्री

...या 116/19	धारा अंतर्गत 47, 48, 188, 53, 88, 89 RTA	निर्णय दिनांक 31.3.21

...स - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां

उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओमप्रकाश मेहता II | अभिभाषक प्रतिवादी श्री ओम भारद्वाज

वाद शीर्षक

किशोर कुमार पुत्र मोन्दू जाति जाटव निवासी फतेहपुर तह. बारां

बनाम

1. कन्याबाई पुत्री मोन्दू पत्नी पूरणचन्द (फौत)
1/1 श्याम पुत्र पूरणचन्द - कन्याबाई जाति जाटव नि. चरीघाट रोड लंका कॉलोनी बारां
2 कृष्णगोपाल उर्फ मुरालाल पुत्र मोन्दू जाति जाटव नि. फतेहपुर तह. बारां
3 चुन्नीलाल पुत्र मोन्दू जाति जाटव निवासी फतेहपुर तह. बारां
4 चन्दा देवी पत्नी लक्ष्मीचन्द जाति जाटव निवासी फतेहपुर बारां
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि मौजे वादी ग्राम फतेहपुर की आराजी ख.नं. 2181 रकबा 0.83 है. एवं ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. के exchange मे आ रहे अन्तर 9 एयर के 5/9 हिस्से की व प्रचलित बाजार दर अनुसार स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क जमा कराए तो ग्राम फतेहपुर की आराजी ख.नं. 2181 रकबा 0.83 है. से वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी क्र. 4 चन्दादेवी का तथा ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. से चन्दादेवी का नाम हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे तथा पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार ग्राम फतेहपुर की आराजी ख.नं. 2181 रकबा 0.83 है. मे प्रतिवादी क्र. 1/1 श्याम का 1/6 हि. मध्य का प्रतिवादी क्र. 2 कृष्ण गोपाल उर्फ मुरालाल का 5/18 हिस्सा पूर्वी ओर का व प्रतिवादी क्र. 4 चन्दादेवी का 5/9 हिस्सा पश्चिमी ओर का तथा ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. मे प्रतिवादी क्र. 2 कृष्ण गोपाल उर्फ मुरालाल का 5/18 हिस्सा पूर्वी ओर का प्रतिवादी क्र. 1/1 श्याम का मध्य का 1/6 हिस्सा व वादी किशोर के पश्चिमी ओर का 5/9 हि. पृथक-पृथक खाते दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.3.21 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां
बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय बाईजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां

प्रकरण संख्या : 116/19
दायरा दिनांक : 18/9/19

बउनवान

1. किशोर कुमार पुत्र भोन्दू जाति जाटव नि. फतेहपुर तह. बारां। वादी

बनाम

1. कन्या बाई पुत्री भोन्दू पत्नी पूरणचंद (मृतक)
1/1 श्याम पुत्र पूरणचंद –कन्या बाई जाति जाटव तरीघाट रोड लंका कॉलोनी बारां
2 कृष्णगोपाल उर्फ भूरालाल पुत्र भोन्दू जाति जाटव नि. फतेहपुर तह. बारां।
3 चुन्नीलाल पुत्र भोन्दू जाति जाटव नि. फतेहपुर तह. बारां।
4 चन्दा देवी पत्नी लक्ष्मीचंद जाति जाटव नि. फतेहपुर तह. बारां।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां। प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 47,48,188,53,88,89 RTAct

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश मेहता II एड. वादी
2. श्री ओम भारद्वाज एड. प्रतिवादीगण

::: निर्णय :::

दिनांक : 31/3/21

यह कि वादी द्वारा वाद इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम फतेहपुर में आराजी जमाबंदी सम्वत् 2072–75 खाता सं. 757 नया 183 पुराना की ख.नं. 2181 रकबा 0.83 है. तथा खाता सं. नया 754 पुराना 183 की ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. जिसे वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी सम्बोधित किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 कन्या बाई का देहान्त हो चुका है। उसके पति पूरणमल का भी देहान्त हो चुका है। उसके एक मात्र वारिस एवं कायम मुकाम पुत्र श्याम है। जिसे वादपत्र में पक्षकार बनाया गया है यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को उक्त आराजी अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 3 चुन्नीलाल द्वारा खाता.सं. 183 की ख.नं. 2181 का 10/18 हिस्सा दिनांक 05.07.2018 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी क्रम 4 श्रीमती चंदा देवी पत्नी लक्ष्मीचंद को बेचान किया गया किन्तु सहवन से ख.नं. 2181 के स्थान पर विक्रय पत्र में ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. दर्ज हो गया जबकि हम दोनो भाईयों द्वारा संयुक्त रूप से ख.नं. 2181 रकबा 0.83 है. बेचान किया गया था मेरा ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. में 5/18 हिस्सा था तथा चुन्नीलाल का भी 5/18 हिस्सा था इसी प्रकार ख.नं. 2181 में चुन्नीलाल का 5/18 दर्ज था किन्तु चुन्नीलाल द्वारा अपना हिस्सा बेचान किया गया था उस वक्त हम दोनो भाईयों के मध्य यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:45 IST
Reason: Self Attested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

मति हुई कि चुन्नीलाल ख.नं. 675 का अपना 5/18 हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर गा तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 3 चुन्नीलाल का हिस्सा इसी आधार पर प्रतिवादी क्रम 4 चंदा बाई को ख.नं. 2181 का बेचान किया गया था किन्तु सहवन से विक्रय पत्र में 675 रकबा 0.74 है. हो गया है। जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 4 सौदे विक्रय पत्र के हिसाब से मौके पर काबिज काश्त है। इसलिए वादी ख.नं. 2181 के स्थान पर अपना हिस्सा ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. में अंकन कराने व प्रतिवादी क्रम 4 का हिस्सा ख.नं. 675 के स्थान पर ख.नं. 2181 में अंकन कराने का व इसी अनुसार दुरस्त कराने का वादी अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा वादी एवं उसके मध्य मौखिक इकरार के आधार पर प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग पत्र रजिस्टर्ड वादी के पक्ष में करा दिया किन्तु उसमें भी सहवन से ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. के स्थान पर 2181 रकबा 0.83 है. अंकन हो गया जबकि वादी वर्तमान में मौके पर ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. के अपने व प्रतिवादी क्रम 3 चुन्नीलाल के हिस्से पर काबिज है इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 4 चंदा देवी अपने क्रयशुदा हिस्सा ख.नं. 2181 रकबा 0.83 है. के 10/18 हिस्से पर काबिज काश्त है। विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया। इंतकाल क्रमांक 1919 दिनांक 05.11.2018 को तस्दीक किया गया तथा हकत्याग के आधार पर खोला। इंतकाल क्रमांक 1937 दिनांक 22.03.2019 को ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा तस्दीक किया गया है जो टंकण त्रुटि के कारण हुआ है। जिसकी मौके अनुसार व मौखिक सौदे के अनुसार वादी दुरस्ती करवाकर ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. में अपना नाम अंकन कराने व ख.नं. 2181 रकबा 0.83 है. में प्रतिवादी क्रम 4 चंदा देवी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने तथा वादी अपने हिस्से का बंटवारा कराकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

इस आशय का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई तलवी होने पर प्रतिवादी क्रम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 23.10.2019 को की गई। शेष प्रतिवादी क्रम 1/1, 3 व 4 की ओर से श्री ओम भारद्वाज एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1/1, 3, 4 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा दिनांक 23.10.2019 को ही पेश किया गया जो उनके द्वारा सही होना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी क्रम 5 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार बारां से जवाब चाहा गया जो दिनांक 15.03.2020 को इस आशय का प्राप्त हुआ कि आराजी ख.नं. 2181 रकबा 0.83 है. एवं ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. के बाबत् वादी द्वारा वादी का नाम ख.नं. 2181 से हटाया जाकर प्रतिवादी चंदा देवी का नाम अंकन करने एवं ख.नं. 675 में वादी का नाम अंकन करने एवं प्रतिवादी चंदा देवी का नाम हटाए जाने का निवेदन किया गया है। जिससे दोनो ख.नं. की आराजी में से 9 एयर का अंतर है जिसमें से 5/9 हिस्से का हस्तांतरण होना है इस प्रकार 9 ऐयर के 5/9 हिस्से की डीएलसी की दर से पंजीयन शुल्क जमा कराया जाना न्यायोचित है। जिससे सरकार का राजस्व का नुकसान ना हो।

वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं का बयान पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में दिनांक 31.07.2020 शपथ पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 08.09.2020 को न्यायालय में जिरह हुई तथा दस्तावेज प्रादर्श कराए गए और साक्ष्य पेश नही करना चाहा तथा राजीनामा के मुताबिक निर्णित करने का निवेदन किया गया ... प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहा अतः उनकी साक्ष्य बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:45 IST
Reason: SelfAttested

उप ... अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। बहस में राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया गया हमने बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। हम राजीनामा के अनुसार एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व जवाब सरकार के अनुसार वादी का वाद स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि यदि वादी ग्राम फतेहपुर की आराजी ख.नं. 2181 रकबा 0.83 है. एवं ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. के Exchange में आ रहे अन्तर 9 एयर के 5/9 हिस्से की व प्रचलित बाजार दर अनुसार स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क जमा कराए तो ग्राम फतेहपुर की आराजी ख.नं. 2181 रकबा 0.83 है. से वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी क्रम 4 चंदा देवी का तथा ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. से चंदा देवी का नाम हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें तथा पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार ग्राम फतेहपुर की आराजी ख.नं. 2181 रकबा 0.83 है. में प्रतिवादी क्रम 1/1 श्याम का 1/6 हिस्सा मध्य का, प्रतिवादी क्रम 1/2 कृष्ण गोपाल उर्फ भूरालाल का 5/18 हिस्सा पूर्वी ओर का व प्रतिवादी क्रम 4 चंदा देवी का 5/9 हिस्सा पश्चिमी ओर का तथा ख.नं. 675 रकबा 0.74 है. में प्रतिवादी क्रम 1/2 कृष्णगोपाल उर्फ भूरालाल का 5/18 हिस्सा पूर्वी ओर का, प्रतिवादी क्रम 1/1 श्याम का मध्य का 1/6 हिस्सा व वादी किशोर के पश्चिमी ओर का 5/9 हिस्सा पृथक–पृथक खाते दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। उक्तानुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 31/3/21 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)

उप खण्ड अधिकारी

बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner